

दिनांक 01.12.2013 से पीओएस लेन - देनों के लिए ए टी एम पिन अनिवार्य होगा

ATM PIN MANDATORY FOR PoS TRANSACTION w.e.f. (01.12.2013)

प्रिय मूल्यवान ग्राहकों Dear Valued Customers,

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिदेशित किया है कि दिनांक 1 दिसंबर 2013 से भारत में आपके डेबिट कार्ड के प्रयोग करने के तरीके में परिवर्तन किया जाएगा। व्यापारी के पास (किसी भी पीओएस टर्मिनल पर) किसी भी खरीदारी के लिए डेबिट कार्ड स्वाइप करते समय अपने एटीएम का पिन प्रविष्ट करना होगा।

Reserve Bank of India has mandated that from 1st December 2013, there will be a change in the way you use your Debit card in India. You will have to enter your ATM PIN whenever you swipe your Debit card for any purchase at a merchant outlet (at any PoS terminal).

सुरक्षित लेन - देन के लिए स्मरणीय बिन्दु

Points to Remember for a secure transaction

- अपना पिन न तो किसी को बताएं न ही कहीं लिखें/ Don't share your PIN with anyone or write it down anywhere.
- अपना पिन कभी चिल्लाकर न बताएं न ही तब प्रविष्ट करें जब कोई आपके कंधे पर से देख रहा हो/ Don't speak your PIN out loud or enter it when others are looking over your shoulder.
- अपनी ओर से किसी और को पिन न प्रविष्ट करने दें। हमेशा अपना पिन स्वयं ही प्रविष्ट करें। /Don't let anyone enter the PIN on your behalf. Always enter the PIN yourself.
- पिन प्रविष्ट करते समय अपना की-पैड छिपाकर रखें /Hide the keypad during PIN entry.
- अपना पिन नियमित रूप से बदलें / Change your PIN regularly.

स्वाइप करें / कार्ड डालें → पिन प्रविष्ट करें → हस्ताक्षर करें
Swipe/Insert card → Enter PIN → Sign



Swipe Card



Enter PIN



Sign

अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करके एस एम एस अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी शाखा पर जाएं।
Visit your Home branch now to register your mobile number and get SMS alerts for transactions.

सादर Regards,

उप महा प्रबन्धक **Deputy General Manager**

लेन - देन बैंकिंग विभाग **Transaction Banking Department**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक **Indian Overseas Bank**

केंद्रीय कार्यालय Central Office

चेन्नैChennai